बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
<u>अधिसूचना</u>

पटना–15, दिनांकः **29.08.2026**

संख्या–1 / पी0–1001 / 2026–सा.प्र.–15794 / श्री सुनील कुमार, भा.प्र.से.(2014), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक अंकेक्षण, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या–1 / पी0–1001 / 2026–सा.प्र.–15795 / श्री अंजनि कुमार, भा.प्र.से.(2016), उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, पूर्णिया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, वी बी–जी राम जी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्रीमती अनन्या सिंह, भा.प्र.से. (2020) अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार – आयुक्त, वी बी–जी राम जी) अतिरिक्त रूप से धारित–आयुक्त, वी बी–जी राम जी के पद से मुक्त हो जाएंगी।

संख्या–1 / पी0–1001 / 2026–सा.प्र.–15796 / श्री अभय झा, भा.प्र.से.(2017), अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री झा अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

29/8/2026

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–1 / पी0–1001 / 2026–सा.प्र.–15796 / पटना–15, दिनांकः 29.08.2026

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा–आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग) / सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,भारत सरकार, कर्त्तव्य भवन–03, कर्त्तव्य पथ, नई दिल्ली / कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,

भारत सरकार, कर्त्तव्य भवन–03, कर्त्तव्य पथ, नई दिल्ली/महालेखाकार (ले. एवं ह.), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार लोक भवन, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/संबंधित विभाग/संबंधित पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार,पटना/भू–संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 06 एवं **नोडल पदाधिकारी (समेकित प्रेक्षक प्रबंधन प्रणाली–ओ एम एस)**, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वैसे अन्य पदाधिकारी जो प्रासंगिक स्थानांतरण/पदस्थापन/अतिरिक्त प्रभार से सम्बद्ध पदों को वर्तमान में अतिरिक्त प्रभार के रूप में धारण करते हैं, वे भी धारित उक्त अतिरिक्त प्रभार के पदों से मुक्त हो जाएंगे।

3. भा.प्र.से.(वेतन) नियमावली,2016 के नियम–12(1) के तहत श्री अभय झा, भा.प्र.से. (2017) द्वारा धारण किए जाने वाले अधिसूचित पद को उनके आलोच्य पदस्थापनकाल तक के लिए अपर सचिव स्तर के समकक्ष घोषित किया जाता है।

29/8/2026

सरकार के अवर सचिव।